

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

—:निर्णय:—

दिनांक :-

वादी की ओर से श्री संजीव आहूजा अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 2 व 4 की ओर से श्री पवन कुमार मौखरिया अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई^{आर.ए.एस} उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 - 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 5

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा




राजस्व वाद संख्या:- 398/2022 अनवान बजरंगलाल बनाम बंशीधर आदि

जी आर के वर्तमान खाता संख्या 97/103 के प.न. 5/305 (10) किला नम्बर 11 ता 14/1.012, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24/2.024, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 3.795 हैक्ट. प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है एवं हिदायत दी जाती है कि अच्छी मन्दी के एवं रास्ता खाला की सहूलियत देखते हुए व कब्जा काश्त को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें प्राथमिक डिक्री जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक...12/8/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड सहायक अधीक्षक एवं
पदेन सहायक अधीक्षक पीलीबंगा
पीलीबंगा